भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3648
दिनांक 13 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

नकली दवाओं की बिक्री

3648. श्रीमती लवली आनंदः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश भर के बाजारों में नकली दवाएं खुले आम उपलब्ध हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने हाल ही में परीक्षण के दौरान लगभग 53 दवाओं के नमूनों में कमियां पाई हैं और उन्हें मानक गुणवत्ता का नहीं बताया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त औषधियों के विनिर्माताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या यह भी सच है कि चूककर्ता दवा विनिर्माताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई न किए जाने से अन्य लोगों द्वारा इसी प्रकार के उल्लंघनों को बढ़ावा मिलता है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, नकली/मिलावटी/ गैर-मानक गुणवत्ता की औषधियों आदि का विनिर्माण/बिक्री/वितरण औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि नियम, 1945 के तहत दंडनीय अपराध है और संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए सशक्त हैं।

(ख) से (ङ): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरण, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के तहत आपूर्ति श्रृंखला से परीक्षण एवं विश्लेषण हेतु औषधियों के नमूने लेते हैं। केंद्रीय सरकारी प्रयोगशाला द्वारा गैर-मानक गुणवत्ता /नकली/मिलावटी पाए गए सभी औषधि नमूनों और राज्य औषधि नियंत्रकों द्वारा सीडीएससीओ को भेजी गई गैर-मानक गुणवत्ता (एनएसक्यू)/नकली/मिलावटी रिपोर्ट को मासिक औषधि चेतावनी के भाग के रूप में सीडीएससीओ की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

ऐसे मामलों में, विनिर्माताओं को (लेबल दावे के अनुसार) ऐसी औषधियों को वापस मंगाने का निर्देश दिया जाता है और जांच के परिणामों के आधार पर, संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है।

केंद्र सरकार द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित औषधियों की वर्ष-वार संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	**प्रतिबंधित औषधियों की संख्या**
2021	शून्य
2022	शून्य
2023	मानव उपयोग के लिए 14 और पशुओं के उपयोग के लिए 02 औषधियां
2024	मानव उपयोग के लिए 157 और पशु उपयोग के लिए 01 औषधि
2025	मानव उपयोग के लिए 01 और पशुओं के उपयोग के लिए 36 औषधियां

इसके अलावा, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत, नकली औषधियों का विनिर्माण, बिक्री या वितरण सख्त रूप से प्रतिबंधित है। धारा 17ख के अनुसार, किसी औषधि को नकली तब माना जाता है जब उसका विनिर्माण किसी अन्य औषधि के नाम से किया गया हो, वह धोखा देने के उद्देश्य से बनाई गई नकल हो, उस पर विनिर्माता का झूठा नाम हो, वह किसी ऐसे विनिर्माता द्वारा निर्मित हो जिसका अस्तित्व ही न हो, या उसे पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी अन्य पदार्थ से प्रतिस्थापित किया गया हो। धारा 18 समुचित प्राधिकरण के बिना ऐसी औषधियों के विनिर्माण, बिक्री, भंडारण या वितरण को प्रतिबंधित करती है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 नकली औषधियों के उत्पादन को रोकने के लिए लाइसेंसिंग, लेबलिंग, निरीक्षण और विनिर्माण मानकों को विनियमित करके इन प्रावधानों को सहयोग प्रदान करते हैं।

नकली औषधियों के विनिर्माण या बिक्री के लिए अधिनियम की धारा 27 के तहत दंड का प्रावधान है। यदि नकली औषधि से मृत्यु या गंभीर चोट लगती है, तो अपराधी को कम से कम 10 वर्ष की कैद हो सकती है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही कम से कम 10 लाख रुपये का जुर्माना या जब्त की गई औषधियों के मूल्य का तीन गुना जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अन्य मामलों में, सजा में कम से कम 7 वर्ष की कैद शामिल है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही कम से कम 3 लाख रुपये का जुर्माना या औषधियों के मूल्य का तीन गुना जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, धारा 31 और 34 के तहत, औषधियों और संबंधित सामग्रियों को जब्त किया जा सकता है, और अपराध के लिए जिम्मेदार कंपनी के अधिकारियों को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। नकली औषधियों से संबंधित अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं, जिससे नकली औषधियों के विनिर्माताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होती है।
